"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 सितम्बर 2006—भाद्र 31, शक 1928

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2006

क्रमांक ई-01-06/2003/एक/2.—श्री डी. एस. मिश्रा, भा. प्र. से. (1982) को प्रमुख सचिव वेतनमान रुपये 22400-525-24500 में पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से प्रमुख सचिव, वित्त एवं योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन को छोड़कर) विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है. उन्हें प्रमुख सचिव वेतनमान का लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से देय होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रायपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2006

क्रमांक ई-7/27/2004/1/2.—श्री जवाहर श्रीवास्तव, भा. प्र. से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 04-10-2006 से 18-10-2006 तक (15 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री श्रीवास्तव, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन एवं महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री श्रीवास्तव, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री श्रीवास्तव, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2006

क्रमांक ई-7/4/2006/1/2.—श्री मंदीप सिंह ब्रार, भा. प्र. से., सहायक कलेक्टर, सरगुजा को दिनांक 17-08-2006 से 02-09-2006 तक (17 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15,16 अगस्त, 2006 एवं 3 सितम्बर, 2006 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री ब्रार, भा. प्र. से. आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, सरगुजा के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल से श्री ब्रार, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ब्रार, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

वित्त तथा योजना विभाग
(वाणिज्यिक कर विभाग)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ 6-156/2005/वा.क./पांच.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा वर्ष-2003 तथा साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर, वाणिज्यिक कर विभाग में वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद हेतु चयनित उम्मीदवारों की मुख्य सूची में शामिल अनारक्षित श्रेणी के एक प्रत्याशी की अन्य विभाग में नियुक्ति होने से रिक्त हुए, वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद की पूर्ति हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की अनुमति से, वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद हेतु चयनित उम्मीदवारों की अनुपूरक

सूची में से श्री सुनील चौधरी, आत्मज श्री अर्जुन लाल चौधरी, "सुषमा कुंज" द्वारा श्री व्ही. के. तिवारी, देवनंदन नगर, फेज-I, सीपत रोड, सरकंडा, बिलासपुर (छत्तीसगढ़) को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक दो वर्ष की परिवीक्षा पर वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर, वेतनमान रुपये 8000-275-13000 में नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी पदस्थापना अतिरिक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी के रूप में कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, धमतरी वृत्त, जिला-धमतरी (छ. ग.) में की जाती है.

2. उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारी को जब छ. ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्रशिक्षण हेतु बुलाया जाएगा, तब वे अपनी उपस्थिति जिले से, प्रशासन अकादमी, रायपुर में देकर, प्रशिक्षण प्राप्त करेगा.

3. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षा अवधि के दौरान विहीत प्रशिक्षण, छ. ग. प्रशासन अकादमी, रायपुर में प्राप्त करना अनिवार्य होगा और प्रशिक्षण के पश्चात् अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में अनिवार्यत: सम्मिलित होकर परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा. प्रशासन अकादमी द्वारा ली जाने वाली परीक्षा में प्रथम बार में असफल होने पर अधिकारी को अकादमी के आगामी प्रशिक्षण में सम्मिलित हो कर पुन: परीक्षा उत्तीर्ण करने के निर्देश दिए जा सकेंगे.

4. परिवीक्षाधीन अधिकारी को परिवीक्षावधि में उच्च मानकों द्वारा निर्धारित विभागीय परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी. नियुक्ति प्राधिकारी पर्याप्त कारणों से एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए परिवीक्षावधि को बढ़ा सकेगा. विहीत विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण न करने पर अथवा सेवा के लिए अनुपयुक्त पाये जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी के विचार में यदि, उसका उपयुक्त शासकीय सेवक बनना संभव न होना पाया जाएगा तो, उसकी सेवाएं परिवीक्षावधि के अंत में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी.

5. शासकीय सेवा के दौरान उपरोक्त अधिकारी "छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961, छत्तीसगढ़ सिविल-सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 एवं छत्तीसगढ़ विक्रयकर सेवा 1 तथा 2 भरती नियम, 1966" के प्रावधानों के तहत शासित होगा.

6. उपरोक्त उम्मीदवार की नियुक्ति "मेडिकल बोर्ड" से चिकित्सीय योग्यता प्रमाण-पत्र (मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट) प्राप्त करने की अपेक्षा में की जा रही है. अत: उम्मीदवार को जिला मेडिकल बोर्ड से उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तत्काल विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. "मेडिकल बोर्ड" द्वारा अयोग्य पाये जाने की दशा में उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी जावेगी.

7. उपरोक्त उम्मीदवार को संबंधित जिला कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के समय वाणिज्यिक कर अधिकारी, धमतरी वृत्त, जिला-धमतरी (छ. ग.) के समक्ष जाति प्रमाण-पत्र, मूल (स्थानीय) निवासी प्रमाण-पत्र तथा शैक्षणिक अर्हता संबंधित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. उम्मीदवार द्वारा आयोग को नियुक्ति के पूर्व दी गई कोई भी जानकारी/प्रमाण-पत्र गलत पाये जाने पर उसे बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.

8. परिवीक्षाधीन अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व संलग्न प्रारूप में एक बॉण्ड शासन के हित में निष्पादित करना भी आवश्यक होगा कि वह परिवीक्षा अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण न कर पाने की दशा में, परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उस पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते एवं यात्रा व्यय शामिल होगा, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा.

9. वाणिज्यिक कर अधिकारी के पद पर उम्मीदवार की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग की मुख्य सूची से नियुक्त अधिकारियों के पश्चात् निर्धारित होगी.

10. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर नियुक्ति के संबंध में आरक्षण संबंधी नियमों एवं आदेशों का पालन किया गया है.

संलग्न- बांड का प्रारूप

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश पाण्डेय, उप-सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ/10-3/2006/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए इस सम्बन्ध में प्रसारित समस्त अधिसूचना को निरस्त करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. डी. पी. राव को छत्तीसगढ़ राज्य के लिये "मुख्य संराधक" नियुक्त करता है.

No. F/10-3/2006/16.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 4 of Chhattisgarh Industrial Relation Act, 1960 and in supersession of all previous notification issued on the subject, State Government hereby appoints Shri K. D. P. Rao to be "Chief Conciliator" for the State of Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ/1-10/16/2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 की धारा-4 (2) (सी) के तहत श्री प्रकाश यादव को श्रम कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र सदस्य मनोनीत किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ 1-10/16/2006.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री प्रकाश यादव स्वतंत्र सदस्य छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल को उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. सरोज, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 सितम्बर 2006

क्रमांक-एफ 9-71/32/05.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 9-91/32/2005 दिनांक 8-2-2006 द्वारा कोरबा विकास योजना में निम्नानुसार उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

विकास योजना कोरबा के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	विकास योजना में प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	खरमोरा प. ह. नं.-05 तह. व जिला-कोरबा	297 का भाग	58 एकड़ में से 16.80 एकड़	औद्योगिक	दुग्ध देयरी (गोकुल नगर)
			योग - 16.80 एकड़		

सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर प्राप्त आपत्ति/सुझाव को अमान्य करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है तथा सूचित करता है कि यह उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2006

क्रमांक एफ 1-115/2004/सत्रह/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा, लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ के माध्यम से चयन किये गये निम्नांकित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राजपत्रित सेवा द्वितीय श्रेणी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर वेतनमान 8000-275-13,500/- एवं समय-समय पर स्वीकृत भत्तों पर नियुक्त किया जाकर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम कें समक्ष दर्शाये गये स्थान पर पदस्थ किया जाता है. :—

क्र.	लो. से. आ. का पंजी.	नाम	पदस्थापना स्थान
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	397	डॉ. अनुश्री मुखोपाध्याय	जिला चिकित्सालय, कोरबा
2.	1140	डॉ. श्रीमती विजय श्री बिस्सा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भैसमा जिला कोरबा
3.	1040	डॉ. बिराज कुमार राय	जिला चिकित्सालय, बैकुण्ठपुर कोरिया
4.	373	डॉ. आदेश कुमार बागड़े	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहसपुर लोहारा, जिला कवर्धा
5.	1127	डॉ. सतदल नाथ	जिला चिकित्सालय, कोरबा
6.	1082	डॉ. स्निग्धा दास	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोरर, जिला कांकेर
7.	413	डॉ. अमित कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खरवानी जिला कोरबा
8.	892	डॉ. सौरव गर्ग	जिला चिकित्सालय, कवर्धा
9.	791	डॉ. डाली सैनिक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोडला, जिला कवर्धा
10.	284	डॉ. दीप्ति विनीता नाथ	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुदमुरा, जिला कोरबा

(1)	(2)	(3)	(4)
11.	462	डॉ. श्वेता नायक	सिविल हॉस्पीटल, खरसिया, जिला रायगढ़
12.	420	डॉ. प्रकाश कुमार दुबे	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लेमरू, जिला कोरबा
13.	102	डॉ. राजेश वस्त्रकार	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैनपाट, जिला सरगुजा
14.	1059	डॉ. विजय कुमार डेम्ब्रा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेधरपुर, जिला कोरिया
15.	705	डॉ. श्वेता श्रीवास्तव	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नरहरपुर, जिला कांकेर
16.	622	डॉ. राजकृष्ण शर्मा	जिला चिकित्सालय, रायगढ़
17.	836	डॉ. सागर कश्यप	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोण्डागांव, जिला जगदलपुर
18.	175	डॉ. चंदन तिवारी	जिला चिकित्सालय, कवर्धा
19.	559	डॉ. मनीष राज कुलश्रेष्ठ	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जहगा, जिला कोरबा
20.	764	डॉ. गोपेश कुमार	सिविल हॉस्पीटल, मानपुरी, जिला बस्तर
21.	1173	डॉ. श्रीमती मनोरमा सुसाना मिंज	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वतौली, जिला सरगुजा
22.	349	डॉ. छकेश कुमार साय	जिला चिकित्सालय, जशपुर
23.	260	डॉ. संजय कश्यप	जिला चिकित्सालय, दंतेवाड़ा
24.	966	डॉ. प्रमोद कुमार पहारिया	जिला चिकित्सालय, कवर्धा
25.	608	डॉ. सुमित कुमार	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चिरपानी, जिला कवर्धा
26.	1011	डॉ. गीता मिश्रा	जिला चिकित्सालय, कवर्धा
27.	38	डॉ. अल्का दिव्या लकड़ा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुटकापुरी, जिला रायगढ़
28.	245	डॉ. केशव कुमार ध्रुव	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंडरिया, जिला कवर्धा
29.	365	डॉ. बृजमोहन सिंह कामरे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उदयपुर, जिला सरगुजा
30.	944	डॉ. संजय ध्रुवे	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, माकड़ी, जिला जगदलपुर
31.	853	डॉ. रविशंकर ठाकुर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किसनगढ़, जिला कवर्धा
32.	415	डॉ. शत्रुधन सिंह तोमर	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विजय नगर, जिला रायगढ़
33.	119	डॉ. शिवपाल सिंह सिदार	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रेमनगर, जिला रायगढ़
34.	152	डॉ. श्रीमती रेखा बारापात्रे	जिला चिकित्सालय, कांकेर
35.	258	डॉ. पुष्पा भगत	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बतौली, जिला सरगुजा
36.	833	डॉ. नीलिमा तिर्की	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, तुमान, जिला कोरबा
37.	375	डॉ. नोमिता सिंह	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, केराकछार, जिला कोरबा
38.	571	डॉ. दीपा अजित कुमार	जिला चिकित्सालय, कवर्धा
39.	268	डॉ. मंजू राठौर	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, रेगाखार, जिला कवर्धा
40.	404	डॉ. रनिता रानी एलन	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मानभेडा, जिला कांकेर
41.	962	डॉ. पूजा अग्रवाल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सीतापुर, जिला सरगुजा
42.	431	डॉ. गणेश कुमार मित्तल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोंडातराई, वि. खं. पुसौर, जिला रायगढ़.
43.	1009	डॉ. रोज ब्युला	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विश्रामपुर, जिला सरगुजा
44.	81	डॉ. आशीष शर्मा	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गंडई, जिला राजनांदगांव
45.	469	डॉ. वर्षा अत्रिवाल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनेंद्रगढ़, जिला सरगुजा
46.	678	डॉ. पंकज कुमार नगारची	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, करेली, जिला धमतरी
47.	904	डॉ. नारायण सिंह	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहण्डीगुड़ा, जिला बस्तर
48.	34	डॉ. धर्मेन्द्र सिंह सर्यूाम	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बस्तर-6, जिला जगदलपुर
49.	160	डॉ. रामकुमार सिद्धार्थ	जिला चिकित्सालय, जशपुर

2. उपर्युक्त नियुक्तियां निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :—

(क) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने की तारीख के 30 दिनों के अंदर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वत: निरस्त माना जावेगा.

(ख) छत्तीसगढ़ शासकीय सेवा (अस्थाई तथा अर्द्ध स्थाई) सेवा नियम-1988 के नियम-12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी. संबंधित व्यक्ति द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते का भुगतान किये बिना शासकीय सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अंतर्गत एक माह के वेतन के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी.

(ग) चयनित प्रत्याशी को पदस्थीकरण के स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.

(घ) छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (राजपत्रित) सेवा नियम-1988 के नियम-19 के अनुसार यह नियुक्तियां दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर होगी.

(च) चयनित प्रत्याशियों को अपना स्वस्थता प्रमाण-पत्र चिकित्सा मंडल से देना अनिवार्य होगा. अयोग्य पाये जाने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी.

(छ) नियुक्ति चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन के समाधानकारक पाये जाने की प्रत्याशा में की जा रही है अत: जिन प्रत्याशियों के पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन में विपरीत टिप्पणी होगी उनकी सेवा समाप्त कर दी जावेगी. इस संबंध में संबंधित अभ्यार्थी को एक अंडर टेकिंग कार्य ग्रहण के समय देना आवश्यक होगा.

(ज) चयनित/अभ्यार्थियों/चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता का निर्धारण लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़ द्वारा संसूचित प्रावीण्यता सूची के आधार पर किया जावेगा.

3. नियुक्यों में आरक्षण संबंधी प्रावधानों का ध्यान रखा गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, अवर सचिव.

ग्रामोद्योग विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2006

संशोधन आदेश

क्रमांक एफ 1-27/2003/(6) 52.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-28/02/(6) 52 दिनांक 23-11-02 द्वारा हाथकरघा प्रभाग के मुख्यालय हेतु 32 पद तथा समसंख्यक आदेश दिनांक 28-9-04 द्वारा हाथकरघा प्रभाग के मैदानी कार्यालय हेतु 82 पद स्वीकृत किया गया है.

राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त दोनों आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए स्वीकृत पदों में से कार्यकारी एवं तकनीकी का पद संलग्न सूची परिशिष्ट "एक" एवं "दो" में दर्शाये अनुसार विभाजन करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अवर सचिव.

परिशिष्ट-एक

ग्रामोद्योग संचालनालय हाथकरघा-प्रभाग अंतर्गत स्वीकृत पदों का कार्यकारी एवं तकनीकी पद का विभाजन

क्र.	पद विवरण	स्वीकृत सेटअप	स्वीकृत सेटअप अनुसार	
			कार्यकारी पद संख्या	तकनीकी पद संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	संचालक ग्रामोद्योग	01	-	-
2.	संयुक्त संचालक	01	-	-
3.	उप संचालक हाथकरघा	02	01	01
4.	सहायक संचालक हाथकरघा	03	02	01
5.	सहायक हाथकरघा अधिकारी	03	02	01
6.	हस्तशिल्प विकास अधिकारी	01	01	-
7.	सहायक हस्तशिल्प विकास अधिकारी	01	01	-
8.	फिल्ड इन्वेस्टीगेटर (हस्तशिल्प)	01	-	-
9.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-2	01	-	-
10.	स्टेनोग्राफर ग्रेड-3	02	-	-
11.	स्टेनो टाईपिस्ट	01	-	-
12.	सहायक अधीक्षक	01	-	-
13.	सहायक ग्रेड-1	01	-	-
14.	सहायक ग्रेड-2	02	-	-
15.	सहायक ग्रेड-3	07	-	-
16.	सहायक लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति से)	01	-	-
17.	लेखापाल	01	-	-
18.	डाटा इन्ट्री आपरेटर	01	-	-
19.	वाहन चालक	01	-	-
20.	दफ्तरी	01	-	-
21.	भृत्य	04	-	-
22.	चौकीदार (कलेक्टर दर पर)	01	-	-
	योग	38	07	03

परिशिष्ट-दो

ग्रामोद्योग संचालनालय "हाथकरघा"

मैदानी स्तर हेतु स्वीकृत पद के अनुसार से कार्यकारी एवं तकनीकी अधिकारी/कर्मचारियों का जिलेवार सेटअप

क्र.	पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	रायपुर	दुर्ग	जगदलपुर	बिलासपुर	राजनांदगांव	जांजगीर	रायगढ़	अंबिकापुर	महासमुंद	प्रशिक्षण केन्द्र रायगढ़	योग		
													कार्यकारी	तकनीकी	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.	उप संचालक	4	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	4	-	4
2.	सहायक संचालक	8	1	1	1	-	1	1	-	1	1	1-तक.	7	1	8
3.	वरिष्ठ निरीक्षक	6	1-तक.	1	1-तक.	1	1	-	1-तक.	-	-	-	3	3	6
4.	निरीक्षक	10	1	1-तक.	1	1-तक.	1-तक.	1	1	1	1	1-तक.	6	4	10
5.	सहायक निरीक्षक	10	1	1	1-तक.	-	1-कार्य. 1-तक.	1	1-तक.	1	1	1-तक.	6	4	10
6.	सहायक ग्रेड-I	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
7.	सहायक ग्रेड-II	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	3
8.	लेखापाल	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3
9.	सहायक ग्रेड-III	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-	10
10.	कारपेन्टर	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
11.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
12.	भृत्य	12	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	-	-	12
13.	चौकीदार	6	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	6
14.	फर्राश कम वाटरमेन	4	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	4
15.	पार्ट टाईम स्वीपर	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	योग	82	12	8	11	9	9	6	7	6	5	9			82

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 22 अगस्त 2006

क्रमांक क /भू-अर्जन/08 अ/82 वर्ष 2005-06/8197.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन क. वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	धमतरी	सम्बलपुर	0.08	कार्यपालन अभियंता, म. ज. प. बांध संभाग क्र. 2, रुद्री, जिला-धमतरी.	महानदी मुख्य नहर के वितरक शाखा क्र. 2 अ के जलद्वार नवनिर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. एस. नेताम, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 6/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन क. वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कोतबा प. ह. नं. 21	2.209	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय के बैगाबहार शाखा नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 7/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कोतबा प. ह. नं. 21	1.362	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय के कोतबा शाखा नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 8/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कोतबा प. ह. नं. 21	1.358	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय के कोतबा शाखा नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 4 सितम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 9/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	पत्थलगांव	कोतबा प. ह. नं. 21	2.655	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धर्मजयगढ़.	खमगढ़ा जलाशय के करमी-टिकरा शाखा नहर का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी, पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2006

क्रमांक/2179/अ.वि.अ./भू-अर्जन/13/अ/82 वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	देवभोग	बाड़ीगांव	8.74	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	गिरसूल व्यपवर्तन सिंचाई योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2006

क्रमांक/2180/अ.वि.अ./भू-अर्जन/03/अ/82 वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	मरोदा	0.89	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	मरोदा जलाशय योजना के उलट नाली निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2006

क्रमांक/2183/अ.वि.अ./भू-अर्जन/08/अ/82 वर्ष 2002-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	गरियाबंद	काण्डेकेला	6.25	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद.	कोटरी व्यपवर्तन योजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गरियाबंद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/2006/9 अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	मोहगांव प. ह. नं. 16	15.458	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 28 अगस्त 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/2006/10 अ/82 वर्ष 2005-2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	पलारी	तेलासी प. ह. नं. 16	33.500	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 14 अगस्त 2006

रा. प्र. क्र. 6/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	भथरी	2.53	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	तखतपुर शहर के बाइपास मार्ग पर पड़ने वाले मनियारी पुल के पहुंच मार्ग हेतु अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 9/ अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	नगवाही	10.57	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	अपरखुज्जी जलाशय के नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 18/ अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	डाहीबहरा	1.38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	डाहीबहरा जलाशय की लघु नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 25/ अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	कोरजा	10.02	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	खुदरी जलाशय मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 10/ अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	पण्डरीपानी	16.93	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	चनाडोंगरी जलाशय योजना के डूब, स्पिल एवं नहर हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 1/ अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	पेण्ड्रारोड	साल्हेघोरी	9.74	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, मरवाही.	छेरीछापर जलाशय योजना के डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्र. क्र. 39 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	सुरजपुरा प. ह. नं. 56	1.349	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, सहसपुर लोहारा जिला-कबीरधाम.	कर्रा नाला बैराज परियोजना के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 17 अगस्त 2006

प्र. क्र. 40 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	गीधनखार प. ह. नं. 47	1.183	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	खम्हरिया जलाशय के अंतर्गत स्पील चैनल हेतु.

भूमि के नक्शे (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 8 नवम्बर 2004

क्रमांक 10/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-टेमर, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.838 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
390	0.004
1315	0.012
517/1 घ	0.024
716	0.040
392	0.008
563/3	0.012
631, 632	0.049
641/2	0.048
563/2	0.008
712/3	0.089
712/4	0.093
713/1	0.032
713/2	0.049
2066/1	0.069
2067/1	0.141
712/5	0.061
2089/2	0.087
2074/1, 2075/1	0.012
योग 14	0.838

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मोंहदीकला वितरक नहर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 6 अप्रैल 2005

क्रमांक 220/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-केरीबंधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
274/1	0.008
268/1	0.065
योग	0.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बगदेवा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2006

क्रमांक 170/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-डभरा
 (ग) नगर/ग्राम-बरतुंगा, प.ह.नं. 05
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1412	0.053
	1413	0.032
	1418	0.069
योग	3	0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-बड़ेमुडपार सब डीवाय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2006

क्रमांक 171/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-सक्ती
 (ग) नगर/ग्राम-पोरथा, प.ह.नं. 10
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.421 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	304/1	0.182
	305/4	0.040
	305/5	0.045
	307/1	0.093
	314	0.006
	315	0.006
	361/2	0.049
योग	7	0.421

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-डोंगिया सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2006

क्रमांक 172/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
 (ख) तहसील-सक्ती
 (ग) नगर/ग्राम-छिन्दमुड़ा, प.ह.नं. 02
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.375 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
18	0.169
19	0.206
योग 2	0.375

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-मोहगांव माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2006

क्रमांक 173/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सिंगनसरा, प.ह.नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.113 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1090	0.088
1092	0.025
योग 2	0.113

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सिंघनसरा माइनर 01 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2006

क्रमांक 174/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-घोघरा, प.ह.नं. 02
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.141 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
517/1	0.020
518/3	0.024
519/1,2	0.097
योग 3	0.141

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-जुनवानी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2006

क्रमांक 175/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-छिन्दमुड़ा, प.ह.नं. 02

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.259 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	16	0.049
	18	0.210
योग	2	0.259

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव मरियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 29 अगस्त 2006

क्रमांक 176/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-जैजैपुर

(ग) नगर/ग्राम-भोथीडीह, प.ह.नं. 03

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	248/1 ख	0.033
	231/1	0.020
	245, 242/5	0.040
योग	3	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-भोथीडीह माइनर नं. 3 नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 सितम्बर 2006

क्रमांक 177/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-सक्ती

(ग) नगर/ग्राम-सक्ती, प.ह.नं. 08

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.134 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
458	0.020
642	0.016

	(1)	(2)
	652/2	0.053
	647	0.045
योग	4	0.134

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सक्ती उप वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 4 सितम्बर 2006

क्रमांक 178/भू-अर्जन/2006/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-सोठी, प.ह.नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर-में) (2)
	653/3	0.093
योग	1	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सोठी माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 सितम्बर 2006

क्रमांक 6930/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-अचानकपुर नवागांव, प.ह.नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.96 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
204/7	0.30
207	0.18
189/2	0.02
212/1	0.10
213	0.14
204/5	0.52
200	0.05
199	0.32
212/3	0.10
214/2	0.12
214/6	0.09
214/1	0.10
212/5	0.09
212/6	0.02
214/3	0.20
204/1	0.44
208	0.01

(1)	(2)
212/2	0.10
212/4	0.06
योग	2.96

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-लछना व्यपवर्तन के अंतर्गत मुख्य नहरनाली हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 11 सितम्बर 2006

क्रमांक 6942/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगांव
(ग) नगर/ग्राम-रेंगाकठेरा, प.ह.नं. 14
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.844 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
302/1	0.008
263	0.008
311	0.820
262	0.008
योग 4	0.844

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घुमरिया नाला बैराज के बायींतट मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 7 अगस्त 2006

क्रमांक 52/अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
(ग) नगर/ग्राम-नगवाही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.857 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
596/4	0.016
599/2	0.097
305	0.036
596/2	0.045
240/2	0.024
597/1	0.024
237	0.040
243	0.036
230/4	0.093
720	0.117
185/2 क	0.045
185/2 ग	0.040
218/2	0.049
223/2	0.093
225	0.138
241	0.093
45/1	0.053
312/1	0.045
186	0.073

(1)	(2)
596/1	0.045
46/3	0.045
218/1	0.045
223/1	0.093
44/1	0.008
601/3	0.053
601/2	0.016
185/1 क	0.012
315/3	0.045
242	0.109
183/1	0.008
315/1	0.061
315/2	0.093
230/3	0.057
185/2 घ	0.061
189/1	0.089
316	0.065
190	0.057
45/2	0.053
312/2	0.045
187	0.093
599/1	0.045
185/2 ड	0.008
179/2	0.012
721/1	0.045
719/1	0.045
229/1	0.121
185/2 ख	0.028
184	0.101
180/2	0.024
185/1 ख	0.057
596/3	0.061
योग 51	2.857

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अपरखुज्जी जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 5/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-आमाडांड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.234 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
497/2	0.113
496/3	0.121
योग 2	0.234

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 6/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची.

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-घाघरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.198 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	22/1 ख	0.198
योग	1	0.198

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घाघरा जलाशय स्पिल चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 7/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1984 संशोधित) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-सोनबचरवार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.406 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	20/13	1.619
	20/14 क	1.963
	471/3, 472, 473/3	0.878
	47/2	0.138
	474/8	0.077
	474/6	0.089
	477	0.036
	20/14 ख	1.619
	470	0.089
	471/1	0.611
	473/2	0.425
	471/2, 473/1	0.336
	473/4	0.073
	42	0.251
	45	0.020
	19	0.182
योग	16	8.406

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घाघरा जलाशय डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 14/अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-पेण्ड्रारोड
- (ग) नगर/ग्राम-देवरीकला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.056 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
188/6	0.028
188/7	0.028
योग 2	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-घाघरा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

प्रकरण क्र. 19/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-बेलगहना, प.ह.नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
177/11, 177/12	0.182
योग 02	0.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अरपा सेतु/रतनपुर बेलगहना पहुंच मार्ग.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कोटा के कार्यालय में किया सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2006

प्र. क्र. 3/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-मर्राकोना
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.78 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
461	0.07
473/3	0.06
474, 477	0.17
524, 525	0.26
526, 527	0.58
514/2	0.08
528/1, 529/1, 530/1, 541/1	0.02
462/2, 3	0.02
520	0.16
512, 513	0.12
511	0.06
522	0.18
योग 12	1.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-[illegible] जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2002-03.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-लखुवाडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.74 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
206/2	0.16
207/2	0.08
207/4, 208/2	0.17
222/4	0.12
222/2	0.05
281/2	0.10
281/3	0.06
योग 7	0.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भेरवा जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2006

प्रकरण क्रमांक 3/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-घुठेली
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.39 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
127	0.54
770/7	0.77
26/1	0.68
36/4	0.40
योग 4	2.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भेरवा जलाशय डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2006.

प्रकरण क्रमांक 4/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-भरदेही
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.18 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
171/5	0.13
301/1	0.04
173	0.01
योग 3	0.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-धरदेही जलाशय नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के न्यायालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2006

क्रमांक 5/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-सिलदहा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.00 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1424/1	0.20
1424/2	0.20
1424/3	0.20
1424/4	0.20
1424/5	0.20
योग 5	1.00

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-भेरवा जलाशय के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के न्यायालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 21 अगस्त 2006

क्र. 5782/एल.यू.-04/2006.—छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा 2 (क) के तहत रायपुर निवेश क्षेत्र में छ. ग. शासन की अधिसूचना क्रमांक-जि.यो.स./रायपुर/एल.यू. 04/3104/नग्रानि/2000 रायपुर दिनांक 18-4-2001 सहपठित अधिसूचना क्रमांक 914/684/आ.पर्या./2002 रायपुर दिनांक 19-4-2002 के तहत सम्मिलित किये गये 61 अतिरिक्त ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है. उसकी एक-एक प्रति कलेक्टर कार्यालय जिला रायपुर एवं आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर के कार्यालय तथा प्रदर्शनी स्थल कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर के कार्यालयों में कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. रायपुर निवेश क्षेत्र की सीमा पुनरीक्षित निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

रायपुर निवेश क्षेत्र की पुनरीक्षित सीमाएं

1. **उत्तर में** - ग्राम-बहेसर (ध), मुनरेठी (ध), परसतराई (ध), धरसींवा (ध), तिवरैया (ध), एवं गोढ़ी (ध), नगरगांव (ध), टोर (ध), ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.

2. **पश्चिम में** - ग्राम-बहेसर (ध), चिखली (ध), कुम्हारी (ध), पठारीडीह (ध), बेन्द्री (ध), कारा (ध), चाना (ध), गुमा (ध), गोमची (ध), हतबंध (ध), अटारी (ध), चन्दनीडीह (ध), सरोना (ध), रायपुरा (ध), भाठा-गांव (ध), काठाठी (ध), दतरेंगा (ध) एवं डोमा (ध) ग्रामों की पश्चिमी सीमा तक.

3. **दक्षिण में** - ग्राम-डोमा (ध), खिलोरा (अ), सिवनी (अ), धुसेरा (अ), सेजबहार (ध), कान्दुल (ध), डूण्डा (ध), देवपुरी (ध), डुमतराई (ध), फुण्डहर (ध), जोरा (ध), लभाण्डीह (ध), शंकरनगर (खम्हारडीह) (ध), सड्डू (ध), आमासिवनी-(ध), संकरी (ध), धनसुली (आ), बहनाकाढी (आ) ग्रामों की **दक्षिणी सीमा तक.**

4. **पूर्व में** - ग्राम-बहनाकांडी (आ), नरदहा (आ), दोंदेकला (ध), मटिया (ध), बरबंदा (ध) एवं टोर (ध) ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसे आपत्ति एवं सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हो, संयुक्त संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर द्वारा विचार किया जायेगा.

Raipur, the 21st August 2006

No. 5782/L.U. 04/2006.—Notice is hereby given that Planning Area of Raipur has been reconstituted under sub-section (2) (a) of section 13 of Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) vide notification No. जि.यो.स./Raipur/L-U 04/3104/नग्रानि/2000 Raipur dated 18-4-2001 in continuation with the notification No. 914/684/ आ.पर्या./2002 Raipur dated 19-4-2000, 61 villages have been additionally included for which the existing land use maps and register prepared under Sub Section (1) of section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973) and a copy there of is available for inspection during office hours in the offices of District Collector, Commissioner, Municipal Corporation, and Exhibition place-Office of the Joint Director, Town & Country Planning, Raipur. The limit of the reconstituted Raipur Planning Area is defined in the Schedule given below :—

SCHEDULE

Reconstituted Limits of the Planning Area Raipur

1. North - Village Bahesar (Dh), Munrethi (Dh), Parstarai (Dh), Dharsiwa (Dh), Tivraiya (Dh), Godhi (Dh), Nagargaon (Dh) and upto the Northern limits of village Tor (Dh).

1.	**West**	-	Village Bahesar (Dh), Chikhali (Dh), Kumhari (Dh), Patharidih (Dh), Bendri (Dh), Kara (Dh), Bana (Dh), Guma (Dh), Gomachi (Dh), Hathband (Dh), Atari (Dh), Chandnidih (Dh), Sarona (Dh), Raipura (Dh), Bhatagaown (Dh), Kathathi (Dh), Datarenga (Dh), and upto the Western limits of village doma (Dh).
3.	**South**	-	Village Doma (Dh), Khilora (Ab), Seoni (Ab), Dhusera (Ab), Sejbahar (Dh), Kandul (Dh), Dunda (Dh), Devpuri (Dh) Dumartarai (Dh), Phundahar (Dh), Jora (Dh), Labhandih (Dh), Shankar Nagar (Khamhardih) (Dh), Saddu (Dh), Amaseoni (Dh), Sakari (Dh), Dhansuli (A), and Sothern limits of village Bahnakathi (A).
4	**East**	-	Village Bahnakadi (A), Nardaha (A), Dondekala (Dh), Matiya (Dh), Barbanda (Dh), and upto the Eastern limits of village Tor (Dh).

Any objection or suggestion regarding the Existing land use maps so prepared, it should be given in writing to the Joint Director, Town & Country Planning, Raipur, within a period of 30 days from the date of publication of notice in the Chhattisgarh Gazette.

Any objection or suggestion, which may be received from any person with respect to the said existing land use maps before the period specified above will be considered by the Joint Director, Town & Country Planning Office Raipur Director.

जाहिद अली,
संयुक्त संचालक.